

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा न०
01/2022किस्म मुकदमा
धारा 136 एल आर एक्टतारीख रजु
18.01.2022तारीख फैसला
14.06.2022

उनवान

बटुआराम सिंह बनाम तहसीलदार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी टोडुपुरा व भू.अ.नि. बझेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार हिण्डौन की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रिठौली तहसील हिण्डौन जिला करौली की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 में खाता संख्या 240 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	रिठौली	240 खसरा न० 955/1205, 956	बटुआराम पुत्र भेरोराम	भौंदू नोट:- पिता का नाम भेरोराम के स्थान पर भौंदू का अंकन किया जावे।

(अनूप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन

क्रमांक/कोर्ट/ 3247-3249

दिनांक:- 22/6/2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. तहसीलदार हिण्डौन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री बटुआराम पुत्र भौंदू जाति मीना निवासी टोडुपुरा तहसील हिण्डौन को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन